

Case name

Tribunals' Competence to Test Constitutional Validity of Statutory Provisions/Rules (1997)

Case

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल के एक फैसले में भारतीय संविधान के तहत न्यायाधिकरणों के निर्माण से संबंधित अनुच्छेद 323-ए और 323-बी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर विचार किया।

Brief Summary

उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 323-ए और 323-बी के तहत बनाए गए न्यायाधिकरणों के निर्णय अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष, जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में विशेष न्यायाधिकरण आता है। हालाँकि, न्यायाधिकरण कानून के उन क्षेत्रों के संबंध में पहली बार अदालतों के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे जिनके लिए उनका गठन किया गया है। न्यायाधिकरणों के पास अधीनस्थ विधानों और नियमों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने की शक्ति भी होगी, बशर्ते कि वे अपने मूल कानूनों की संवैधानिक वैधता के बारे में किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं करेंगे।

Main Arguments

इस मामले में मुख्य तर्क अनुच्छेद 323-ए और 323-बी की संवैधानिक वैधता के इर्द-गिर्द केंद्रित थे, जो न्यायाधिकरणों के निर्माण से संबंधित हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये अनुच्छेद प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरणों का निर्माण न्याय के प्रशासन के लिए एक कुशल और प्रभावी तंत्र प्रदान करने के लिए किया गया था।

Legal Precedents or Statutes Cited

न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 का हवाला दिया, जो उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। न्यायालय ने अनुच्छेद 323-ए और 323-बी का भी उल्लेख किया, जो न्यायाधिकरणों के निर्माण से संबंधित हैं।

Quotations from the court

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, बी. आर. गवई, ए. एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यन की पीठ ने कहा: "उपरोक्त को देखते हुए, हम मानते हैं कि अनुच्छेद... 323-ए और अनुच्छेद 323-बी के तहत बनाए गए न्यायाधिकरणों के सभी निर्णय उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे, जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर, विशेष न्यायाधिकरण आता है।

Present Court's Verdict

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 323-ए और 323-बी के तहत बनाए गए न्यायाधिकरणों के निर्णय अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधिकरण कानून के उन क्षेत्रों के संबंध में पहली बार के न्यायालयों के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे जिनके लिए उनका गठन किया गया है।

Conclusion

इस मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का भारत में न्यायाधिकरणों के कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। न्यायाधिकरणों के निर्णयों को अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन करने का न्यायालय का निर्णय न्यायाधिकरणों को जवाबदेही और निरीक्षण की एक अतिरिक्त परत प्रदान करेगा। हालाँकि, न्यायाधिकरणों को कानून के उन क्षेत्रों के संबंध में पहली बार अदालतों के रूप में कार्य करना जारी रखने की अनुमति देने का न्यायालय का निर्णय, जिनके लिए उनका गठन किया गया है, यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायाधिकरण भारत में न्याय के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें।